Drishti IAS

# Mains MARATHON

(मुख्य परीक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर) 2024

## आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन


**Delhi**
Drishti IAS,
641, Mukherjee Nagar,
Opp. Signature View
Apartment, New Delhi

**New Delhi**
Drishti IAS,
21, Pusa Road,
Karol Bagh
New Delhi

**Uttar Pradesh**
Drishti IAS,
Tashkent Marg,
Civil Lines, Prayagraj,
Uttar Pradesh

**Rajasthan**
Drishti IAS,
Tonk Road,
Vasundhra Colony,
Jaipur, Rajasthan

**Madhya Pradesh**
Drishti IAS,
Building No. 12, Vishnu Puri,
Main AB Road,
Bhawar Kuan, Indore,
Madhya Pradesh

# आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन

**Q1. पूर्वोत्तर भारत में क्रमिक रूप से उत्पन्न होने वाले आंतरिक सुरक्षा खतरों हेतु उत्तरदायी कारकों पर चर्चा कीजिये? (150 शब्द)**

**उत्तर :**

**हल करने का दृष्टिकोण:**
- हाल के संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत से संबंधित आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- इन चुनौतियों हेतु उत्तरदायी कारकों पर चर्चा कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

**परिचय:**

पूर्वोत्तर भारत (जिसमें आठ राज्य शामिल हैं) कई दशकों से आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र में उग्रवाद, जातीय संघर्ष, आर्थिक पिछड़ापन और सीमा पार घुसपैठ सहित कई समस्याएँ बनी हुई हैं।

मणिपुर में कुकियों, नगाओं और मैतेई के बीच जातीय हिंसा की हाल की घटनाओं के कारण एक बार फिर से यह मुद्दा प्रकाश में आ गया है।

**मुख्य भाग:**

**इस संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों हेतु उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं:**

**1. ऐतिहासिक कारक:**
- औपनिवेशीकरण, सीमा विवाद और जनसांख्यिकीय परिवर्तन जैसे ऐतिहासिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया ने इस क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में योगदान दिया है।
- यहाँ पर ब्रिटिशों द्वारा इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली लागू करने से भी जातीय तनाव और संघर्ष हुए हैं।

**2. जातीय विविधता:**
- पूर्वोत्तर भारत विभिन्न जनजातीय समूहों के लगभग 40 मिलियन लोगों का आवास स्थल है। इन जनजातियों की अलग संस्कृति और भाषाएँ हैं।
- इस जातीय विविधता के कारण यहाँ अपने संबंधित समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई विद्रोही समूहों का गठन हुआ है। ये समूह राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल रहे हैं जिससे यहाँ हिंसा, विस्थापन और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
    - उदाहरण के लिये असम का ULFA और नागालैंड का NSCN पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ सक्रिय विद्रोही समूहों में शामिल हैं।

**3. सीमा संबंधी मुद्दे:**
- पूर्वोत्तर भारत की सीमा चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार सहित कई देशों के साथ संलग्न है। खंडित सीमाओं ने इस क्षेत्र को सीमापार घुसपैठ तथा हथियारों, ड्रग्स एवं वर्जित वस्तुओं की तस्करी हेतु संवेदनशील बना दिया है।
    - पूर्वोत्तर क्षेत्र, भौगोलिक रूप से स्वर्णिम त्रिभुज (म्यांमार, थाईलैंड, लाओस) के अफीम उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है।
- पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद ने भी तनाव और संघर्ष को जन्म दिया है (खासकर चीन और बांग्लादेश के साथ)।

**4. आर्थिक पिछड़ापन:**
- पूर्वोत्तर भारत को भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम होना, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा होना और सीमित रोज़गार के अवसर जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं।
- आर्थिक पिछड़ापन से बेरोज़गारी और गरीबी को जन्म मिला है, जिससे यह विद्रोही समूहों में शामिल होने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

**5. प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होना:**
- पूर्वोत्तर भारत तेल, गैस, कोयला और खनिजों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। इन संसाधनों के दोहन से पर्यावरण का क्षरण हुआ है और स्थानीय समुदायों का विस्थापन हुआ है।
- इस विस्थापन से स्थानीय समुदायों के बीच असंतोष पैदा हुआ है और विद्रोही समूहों के विकास के लिये अनुकूल माहौल विकसित हुआ है।

**6. अलगाव होने के साथ तुलनात्मक अभावों का होना:**
- नई दिल्ली से पूर्वोत्तर क्षेत्र की दूरी अधिक होने के साथ लोकसभा में इस क्षेत्र का सीमित प्रतिनिधित्व होने के कारण सत्ता में इनका प्रभाव सीमित रहता है।
- इससे प्रशासनिक क्षेत्र में वार्ता प्रक्रिया में गिरावट आने के कारण हिंसा के उपयोग को अधिक महत्त्व मिला है तथा उग्रवाद अधिक आकर्षक विकल्प बना गया है।

**7. राज्य और गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं की भूमिका:**

- पूर्वोत्तर भारत का उग्रवाद 1950 के दशक के अंत में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान द्वारा समर्थित था; और 1960 के दशक की शुरुआत में नागा सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण और उन्हें हथियार देने के रूप में इसे समर्थन मिला।
- आगे चलकर चीन ने भी विद्रोहियों और माओवादियों को हथियार देने के माध्यम से इसको प्रेरित किया था।

**आगे की राह:**

- **सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को क्रमिक रूप से उन क्षेत्रों से हटाया जाना चाहिये जहाँ स्थिति बेहतर है।**
- **नागरिक समाज द्वारा निरंतर प्रयास किया जाना:** शांति वार्ता में प्रगति के बावजूद, विद्रोही संगठनों के साथ समन्वय के लिये नागरिक समाज द्वारा प्रयास जारी रखना चाहिये। इससे विद्रोही नेता इससे निकलने हेतु प्रोत्साहित होंगे तथा यह सभी हितधारकों के लिये अनुकूल होगा।
- इन राज्यों में विभिन्न जातीय समूहों के बीच संघर्ष को रोकने के लिये राज्यों के बीच सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिये।
    - उदाहरण के लिये असम-मेघालय और असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा समझौता।
- घुसपैठ, मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों की तस्करी से बचने के लिये सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करना चाहिये।

इन मुद्दों को हल करने के लिये एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें राजनीतिक संवाद, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है। उत्तर पूर्व क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिये रक्षा, संवाद और विकास पर आधारित तीन आयामी रणनीति अपनाना महत्त्वपूर्ण है।

**Q2. भारत में विकास और उग्रवाद के बीच संबंधों की चर्चा कीजिये। देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करने वाले हिंसक आंदोलनों के मूल कारणों को सरकार किस प्रकार दूर कर सकती है? उपयुक्त उदाहरणों सहित अपने उत्तर की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द)**

**उत्तर :**

**हल करने का दृष्टिकोण:**

- परिचय: विकास और उग्रवाद जैसे शब्दों को परिभाषित करते हुए उग्रवाद के विभिन्न रूपों का संक्षिप्त विवरण दीजिये।
- मुख्य भाग: विकास और उग्रवाद के बीच संबंधों पर चर्चा करते हुए बताइये कि ऐसे हिंसक आंदोलनों के मूल कारणों को कैसे हल किया जा सकता है।
- निष्कर्ष: मुख्य बिंदुओं को बताते हुए अपना दृष्टिकोण बताइये।

**परिचय:**

विकास और उग्रवाद आपस में संबंधित हैं। विकास का आशय लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण में सुधार होना है जबकि उग्रवाद का आशय राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये हिंसा या कट्टरपंथी साधनों का उपयोग करना है। भारत में उग्रवाद के विभिन्न रूप हैं जैसे वामपंथी उग्रवाद (LWE), धार्मिक उग्रवाद, जातीय उग्रवाद और अलगाववादी आंदोलन। ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं।

**मुख्य भाग:**

**विकास और उग्रवाद के बीच संबंध:**

- **सामाजिक आर्थिक विषमताएँ:** किसी क्षेत्र की विकासात्मक चुनौतियों से चरमपंथी विचारधाराओं को आधार मिलता है। समाज के सीमांत वर्ग इन चरमपंथी विचारधाराओं के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं।
- क्षेत्रीय असमानताएँ: विकास के स्तर पर क्षेत्रीय असंतुलन होने से ऐसी समस्याओं को और भी बढ़ावा मिलता है। विकास के संदर्भ में उपेक्षित क्षेत्र उग्रवादी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। संसाधनों के असमान वितरण और समावेशी विकास की कमी से भी अलगाव और चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा मिलता है।
- पहचान-आधारित संघर्ष: विविधतापूर्ण समाज विभिन्न धार्मिक, जातीय और भाषाई पहचानों से संबंधित होता है। यदि इन्हें पर्याप्त रूप से महत्त्व न देने के साथ विकास प्रक्रिया में समायोजित नहीं किया जाता है तो इससे तनाव को बढ़ावा मिल सकता है जिससे उग्रवादी गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त होता है।
- सामाजिक एकता का अभाव: यदि सामाजिक एकता का अभाव है तो केवल विकासात्मक पहलों द्वारा चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। पूर्वाग्रह, भेदभाव और सांप्रदायिक तनाव से एकीकृत समाज के निर्माण के प्रयास कमजोर होते हैं। इसीलिये समावेशी विकास को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है जिससे सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ हाशिये पर स्थित समुदायों की चिंताओं को दूर करने पर बल दिया जा सके।

**इन हिंसक आंदोलनों के मूल कारणों के समाधान हेतु उपाय:**

- **राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देना:** सरकार, हिंसा छोड़ने के इच्छुक चरमपंथी समूहों के साथ राजनीतिक बातचीत कर सकती है। इस क्रम में अन्य हितधारक जैसे नागरिक समाज संगठन, मीडिया और शिक्षाविद इस प्रकार के संवाद की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। सरकार, लोकतंत्र और संघवाद के ढाँचे के तहत चरमपंथी समूहों की राजनीतिक शिकायतों और मांगों को हल कर सकती है।

- **सामाजिक-आर्थिक विकास:** सरकार, हाशिये पर स्थित वर्गों को ध्यान में रखते हुए समावेशी और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा दे सकती है। सरकार द्वारा उग्रवाद से प्रभावित या इसमें शामिल लोगों के लिये आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ भागीदारी के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं।
- **सुरक्षा उपाय:** सरकार को उग्रवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिये सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करना चाहिये। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाया जाना चाहिये। खुफिया जानकारी एकत्र करने और साझा करने के तंत्र में सुधार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही चरमपंथियों का मुकाबला करने के क्रम में मानवाधिकारों के साथ विधि के शासन को सुनिश्चित करना चाहिये।
- **सामाजिक एकीकरण:** सरकार द्वारा विभिन्न समूहों और समुदायों के बीच सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के साथ संवाद, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा सकता है। नागरिक समाज संगठन, मीडिया और शिक्षाविद लोगों में जागरूकता, संवेदनशीलता और एकजुटता पैदा कर सकते हैं।

### भारत में विकास और उग्रवाद के बीच संबंधों के कुछ उदाहरण:

- **वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद:** वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में विकसित हुई थी। इसके बाद वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा का विस्तार पूर्वी भारत के अन्य क्षेत्रों में हुआ था जहाँ आदिवासियों, दलितों और भूमिहीन मजदूरों ने खुद को शोषित और उपेक्षित महसूस किया था। वामपंथी उग्रवाद से अस्थिरता और असुरक्षा होने के साथ विकास प्रभावित होता है। वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु सरकार ने सुरक्षा और विकासात्मक उपायों को अपनाया है।
- **पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद:** उग्रवाद एक अलगाववादी आंदोलन है जिसमें जातीय पहचान के आधार पर स्वायत्तता या स्वतंत्रता हेतु संघर्ष किया जाता है। ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक पिछड़ेपन जैसे विभिन्न कारकों की वजह से पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को बढ़ावा मिला है। विद्रोहियों द्वारा सुरक्षा बलों के साथ सशस्त्र संघर्ष किये जाने के कारण इससे आंतरिक सुरक्षा को चुनौती उत्पन्न होती है। उग्रवाद से अस्थिरता और असुरक्षा उत्पन्न होने के साथ विकास प्रभावित होता है।
- **धार्मिक अतिवाद:** धार्मिक अतिवाद एक ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा है जिसमें हिंसा या असहिष्णुता को सही ठहराया जाता है। इससे अस्थिरता और असुरक्षा पैदा होने के साथ विकास प्रभावित होता है। सरकार ने इससे निपटने के लिये सुरक्षात्मक, विधिक और सामाजिक उपायों को अपनाया है।

### निष्कर्ष:

भारत में विकास और उग्रवाद के बीच प्रमुख संबंध हैं। सामाजिक आर्थिक विषमताएँ, पहचान-आधारित संघर्ष और सामाजिक एकता की कमी से उग्रवाद की विचारधारा को बल मिलता है। सरकार को समावेशी विकास को प्राथमिकता देने के साथ शासन व्यवस्था को मज़बूत करने, विभिन्न समुदायों को मुख्यधारा में शामिल करने, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिये सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने पर बल देना चाहिये जिससे हिंसक आंदोलनों के मूल कारणों को प्रभावी ढंग से समाप्त किया जा सके।

**Q3. कट्टरवाद और हिंसक उग्रवादी गतिविधियों का मुकाबला करने में नागरिक समाज तथा स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका होती है? आंतरिक सुरक्षा पहलुओं में इन्हें शामिल करने से संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)**

**उत्तर :**

### हल करने का दृष्टिकोण:

- **परिचय:** कट्टरवाद और हिंसक उग्रवाद को परिभाषित करने के साथ आंतरिक सुरक्षा पर इनके प्रभावों को बताते हुए इनका समाधान करने में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका को संक्षेप में बताइये।
- **मुख्य भाग:** चर्चा कीजिये कि CSOs किस प्रकार से इस तरह के खतरों का मुकाबला करने में महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं इसके साथ ही CSOs को आंतरिक सुरक्षा पहलुओं में शामिल करने से संबंधित चुनौतियों एवं अवसरों पर चर्चा कीजिये।
- **निष्कर्ष:** आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

### परिचय:

कट्टरवाद का आशय अतिवादी विचारों को अपनाने के साथ राज्य या समाज के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयों में शामिल होने की प्रक्रिया है। हिंसक उग्रवादी गतिविधियों के तहत राजनीतिक, वैचारिक, या धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये हिंसा या धमकी का उपयोग करना शामिल है। कट्टरवाद और हिंसक उग्रवाद दोनों ही आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा पैदा करते हैं क्योंकि ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करते हैं।

आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये कट्टरपंथ एवं हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने में नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। CSOs को आंतरिक सुरक्षा पहलुओं में शामिल करने से कट्टरता के मूल कारणों को दूर करने, अनुकूल ढाँचा बनाने और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के क्रम में अद्वितीय अवसर प्राप्त होते हैं।

**मुख्य भाग:**

**नागरिक समाज और स्थानीय समुदाय कट्टरवाद का मुकाबला करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:**

- समाज के विभिन्न समूहों और क्षेत्रों के बीच शांति, सहिष्णुता और विविधता को बढ़ावा देने के लिये मीडिया, शिक्षा, कला, खेल आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग करके अतिवादी विचारों के प्रसार को रोका जा सकता है।
  - यह सहानुभूति और जागरूकता पैदा करने के साथ हिंसक उग्रवाद से पीड़ितों की सहायता कर सकते हैं।
- **कट्टरवाद के मूल कारणों को हल करने में** सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और सुशासन पर बल देना शामिल है। CSOs द्वारा कमज़ोर समूहों को बुनियादी सेवाएँ, आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ इनका सशक्तिकरण किया जा सकता है।
- **CSOs विभिन्न समुदायों के बीच अंतर-विश्वास,** अंतर-सांस्कृतिक और अंतर-पीढ़ीगत संवादों को सुगम बनाकर सामाजिक सामंजस्य, सहिष्णुता एवं संवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। यह शांति निर्माण एवं संघर्ष समाधान तंत्र के लिये जमीनी स्तर पर समर्थन भी जुटा सकते हैं।
- **CSOs** अपनी क्षमताओं और नेतृत्व कौशल को बढ़ाकर कमज़ोर समूहों को निर्णय लेने और शांति निर्माण में भाग लेने के लिये सशक्त बना सकते हैं।
- यह चरमपंथियों और उनके परिवारों को सामाजिक सहायता एवं पुनर्वास सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
- CSOs व्यक्तियों को हिंसा त्यागने तथा समाज में उन्हें पुनः एकीकृत करने के क्रम में परामर्श, सलाह, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि प्रदान कर सकते हैं। यह मानवाधिकारों की रक्षा के लिये सरकार और अन्य हितधारकों के साथ भी सहयोग कर सकते हैं।

**हालाँकि आंतरिक सुरक्षा के लिये नागरिक समाज एवं स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय में कुछ चुनौतियाँ और अवसर जुड़े हुए हैं जैसे:**

- **चुनौतियाँ:**
  - सरकार और नागरिक समाज के बीच विश्वास, समन्वय और संचार की कमी
  - नागरिक समाज संगठनों के लिये अपर्याप्त धन और सुरक्षा
  - कानूनी और राजनीतिक बाधाएँ
  - चरमपंथी समूहों या समुदायों की प्रतिक्रिया का जोखिम
- **अवसर:**
  - हिंसक उग्रवाद की रोकथाम और मुकाबला करने के प्रयासों की वैधता, प्रभावशीलता और स्थिरता को बढ़ाना
  - नागरिक समाज के स्थानीय ज्ञान, नेटवर्क और प्रभाव का लाभ उठाना
  - विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद, सहयोग और समन्वय के लिये मंच तैयार करना।

**निष्कर्ष:**

नागरिक समाज और स्थानीय समुदाय कट्टरवाद और हिंसक उग्रवादी गतिविधियों का मुकाबला करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें सरकार और अन्य हितधारकों से समर्थन और मान्यता की आवश्यकता है। इनके समन्वय को मज़बूत करने के लिये नियमित परामर्श, पर्याप्त धन, क्षमता निर्माण, संरक्षण, सक्षम कानूनी और राजनीतिक वातावरण, बहु-हितधारक भागीदारी और योगदान को पहचानने की आवश्यकता होती है।

**Q4. भारत में खालिस्तान मुद्दे के कारण और निहितार्थ क्या हैं? भारत किस प्रकार से खालिस्तान मुद्दे को हल कर सकता है? ( 250 शब्द )**

**उत्तर :**

**हल करने का दृष्टिकोण:**

- खालिस्तान मुद्दे का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- खालिस्तान मुद्दे के कारण और निहितार्थ बताइये।
- खालिस्तान मुद्दे के समाधान हेतु भारत द्वारा किये गए उपायों की व्याख्या कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

**परिचय:**

- खालिस्तान मुद्दा, सिख अलगाववादी आंदोलन से संबंधित है जिसका उद्देश्य पंजाब क्षेत्र में अलग सिख मातृभूमि स्थापित करना है।
- इस आंदोलन की जड़ें उन ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषाई और राजनीतिक कारकों में निहित हैं जिन्होंने सिख पहचान और चेतना को आकार दिया है।
- इस आंदोलन के कारण हिंसा, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे और मानवाधिकारों का उल्लंघन होने जैसी घटनाएँ हुई हैं जिससे भारत और सिख समुदाय दोनों प्रभावित हुए हैं।

## मुख्य भाग:

### खालिस्तान मुद्दे के कारण:

- वर्ष 1947 में भारत का विभाजन होने के परिणामस्वरूप पंजाब का विभाजन हुआ जिससे सिखों के पवित्र स्थलों का भी विभाजन हुआ।
- वर्ष 1966 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत सिख-बहुल पंजाब का निर्माण हुआ लेकिन इसके क्षेत्रीय आकार और आर्थिक क्षमता में कमी आई।
- वर्ष 1973 का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (जिसमें पंजाब के लिये अधिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकारों की मांग की गई थी) लाया गया था लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसे अलगाववादी खतरे के रूप में देखा गया था।
- जरनैल सिंह भिंडरा वाले का उदय (एक उग्रवादी नेता जिन्होंने अलग खालिस्तान की वकालत की और हिंदू बहुसंख्यकों द्वारा किये जाने वाले कथित उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ अपने अनुयायियों को संगठित किया)।
- वर्ष 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार (जो भिंडरा वाले और उसके समर्थकों को बाहर निकालने के लिये सिखों के सबसे पवित्र मंदिर स्वर्ण मंदिर पर एक सैन्य हमला था)। इसके परिणामस्वरूप व्यापक स्तर पर जन-धन की हानि हुई और सिखों में व्यापक गुस्सा और आक्रोश फैल गया।
- वर्ष 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या (जिससे पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, हजारों सिख मारे गए और कई को विस्थापित होना पड़ा)।
- विभिन्न उग्रवादी समूहों और गुटों का उदय होना (जिससे 1980 और 1990 के दशक में भारत और विदेश में राज्य और नागरिकों के खिलाफ हिंसक हमले किये गए)।

### खालिस्तान मुद्दे के निहितार्थ:

- हिंसा एवं आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और सांप्रदायिक झड़पों के कारण जन-धन की हानि हुई।
- पंजाब और पूरे भारत में विभिन्न समुदायों (विशेषकर हिंदुओं और सिखों के बीच) विश्वास, सद्भाव और सहयोग में कमी आई।
- सिख युवाओं के कुछ वर्गों में अलगाव हुआ (जो मुख्यधारा के समाज और राजनीति में भेदभाव महसूस करते थे)।
- इस क्षेत्र में पाकिस्तान जैसी बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप हुआ तथा इन्होंने अपने हितों के लिये कुछ खालिस्तानी समूहों का समर्थन और वित्त पोषण किया।
- इससे विविधता और बहुलवाद का सम्मान करने वाले एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ।

### खालिस्तान मुद्दे के समाधान हेतु उपाय:

- **वार्ता करना:**
  - भारत सरकार को नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और प्रवासी समूहों सहित सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिये ताकि उनकी शिकायतों, आकांक्षाओं और दृष्टिकोणों को समझा जा सके।
  - यह बातचीत आपसी सम्मान, विश्वास और सद्भावना पर आधारित होनी चाहिये और इसका लक्ष्य विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति बनाना होना चाहिये।
- **विकास:**
  - भारत सरकार को पंजाब के आर्थिक विकास में निवेश करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसे संसाधनों, अवसरों और लाभों का उचित हिस्सा मिले।
  - सरकार को पंजाब में व्याप्त बेरोज़गारी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, पर्यावरण क्षरण और कृषि संकट की समस्याओं का भी समाधान करना चाहिये।
  - सरकार द्वारा पंजाब की संस्कृति, विरासत और पर्यटन क्षमता को भी बढ़ावा देना चाहिये।
- **न्याय:**
  - भारत सरकार को खालिस्तान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के लिये न्याय सुनिश्चित करना चाहिये।
  - सरकार को सिख विरोधी दंगों और अन्य अपराधों के अपराधियों को भी दंडित करना चाहिये।
  - सरकार को इससे प्रभावित परिवारों और समुदायों को मुआवजा प्रदान करने के साथ उनका पुनर्वास करना चाहिये।
- **आक्रामक कूटनीति अपनाना:**
  - सरकार को कनाडा जैसे विदेशी क्षेत्रों में इस संदर्भ में होने वाले दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिये आक्रामक कूटनीति अपनानी चाहिये।

## निष्कर्ष:

- खालिस्तान मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है जिसके लिये सरकार को समग्र और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- सरकार को भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए सिख समुदाय की वैध शिकायतों और आकांक्षाओं को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हल करना चाहिये।

**Q5. भारत के समक्ष आने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिये नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका बताइये। (250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)**

**उत्तर :**

**हल करने का दृष्टिकोण:**

- भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये। इन चुनौतियों की विविध प्रकृति का संक्षेप में उल्लेख कीजिये।
- भारत के समक्ष प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या करने के साथ इनके समाधान में केंद्रीय खुफिया तथा अन्वेषण एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- खुफिया और अन्वेषण एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष लिखिये।

**परिचय:**

एक संप्रभु राष्ट्र का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व अपने नागरिकों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से सुरक्षा करना है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने विद्रोह, उग्रवाद और बाह्य सहायता प्राप्त विद्रोह सहित विभिन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है।

**मुख्य भाग:**

**भारत के समक्ष आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ:**

- **अलगाववादी गतिविधियाँ:** हमारे देश में अलगाववादी भावनाएँ स्वतंत्रता के समय से ही मौजूद रही हैं तथा अभी भी कानून और व्यवस्था के लिये एक प्रमुख चुनौती बनी हुई हैं। उदाहरण के लिये, नगालैंड अलगाववाद, कश्मीरी अलगाववाद आदि।
- **सांप्रदायिकता:** दो प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच विवादों के कारण अक्सर पारस्परिक घृणा और झगड़े उत्पन्न होते हैं। इससे अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। समूहों के मध्य बढ़ती घृणा हमारे नागरिकों को अनुचित गतिविधियों के लिये प्रेरित करने का आसान लक्ष्य बनाती है।
- **अवैध प्रवासन:** विगत कुछ वर्षों में अवैध प्रवासन ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन और बेरोज़गारी में वृद्धि जैसी कई आंतरिक समस्याओं को जन्म दिया है, जिससे देश के संसाधनों पर दबाव पड़ा है।
- **वामपंथी उग्रवाद:** यह मुख्यत: भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों में विद्यमान है तथा इसकी राजनीतिक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद या माओवाद को चिह्नित किया जाता है। सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और भौगोलिक अलगाव इसके उद्भव के लिये ज़िम्मेदार कारक हैं।

**भारत में कार्रवाई करने के विभिन्न अधिदेशों के साथ कार्यरत विभिन्न खुफिया और अन्वेषण एजेंसियाँ मौज़ूद हैं, इनमें प्रमुख हैं:**

- **राष्ट्रीय अंवेषण अभिकरण (NIA):** यह भारत की प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन अभिकरण है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जाँच करती है।
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB):** यह विभिन्न स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य समन्वय करने वाली शीर्ष संस्था है। यह संपूर्ण भारत में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कार्य करती है।
- **राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI):** यह प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी की खुफिया जानकारी और उससे संबंधित मामलों की जाँच करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य काले धन के प्रसार और धन शोधन को रोकना भी है।
- **इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB):** यह देश के भीतर जानकारी एकत्र करने एवं आतंकवाद-रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिये ज़िम्मेदार शीर्ष खुफिया निकाय है। यह घरेलू खुफिया और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों में कार्य करती है।
- **रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW):** इसने इंटेलिजेंस ब्यूरो से विदेशी खुफिया सूचनाओं के प्रबंधन का कार्य प्राप्त किया था। वर्तमान में यह विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करती है, आतंकवाद-रोधी अभियान संचालित करती है एवं भारतीय नीति निर्माताओं परामर्श प्रदान करती है।
- **केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो (CBI):** इसका गठन संथानम समिति की अनुशंसाओं पर किया गया था, यह अंवेषण हेतु एक प्रमुख पुलिस एजेंसी है। यह अंवेषण का कार्य करती है एवं इंटरपोल के लिये समन्वय संस्था के रूप में भी कार्य करती है।

**निष्कर्ष:**

भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिये विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग एवं समन्वय महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न सुरक्षा खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाँचे हेतु प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सामुदायिक भागीदारी में निवेश आवश्यक है।

**Q6. भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों पर अंकुश लगाने के लिये किये गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई ''नो मनी फॉर टेरर' (NMFT)' संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिये। (250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)**

**उत्तर :**

**हल करने का दृष्टिकोण:**

- प्रश्न के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों तथा उन स्रोतों को कमज़ोर करने हेतु भारत द्वारा किये गए प्रयासों पर चर्चा कीजिये।
- हाल ही में आयोजित नो मनी फॉर टेरर (NMFT) सम्मेलन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर चर्चा कीजिये।
- इस कथन के साथ निष्कर्ष लिखिये कि अपने पड़ोसियों से चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है।

**परिचय:**

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद से ही भारत विभिन्न प्रकार की आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों का साक्षी रहा है। विगत कुछ वर्षों में भारत ने अपनी गलतियों से सीख ली है और आतंकवाद के वित्तपोषण तथा अन्य संबंधित गतिविधियों को सबक देने के लिये कई तरीके विकसित किये हैं।

**मुख्य भाग:**

**आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत:**

- **राज्य प्रायोजित आतंकवाद:** राजनयिक हितों को आगे बढ़ाने के लिये आतंक का उपयोग एक पूर्व विदित अभ्यास रहा है। राज्य अपराधों को प्रायोजित करते हैं और आतंकवादियों का सहयोग एक नीति के रूप में करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने उद्देश्यों के लिये उनका उपयोग कर सकें।
- **जाली मुद्रा:** इसमें जाली मुद्रा को सीधे छापना और बाज़ार में प्रसारित करना शामिल है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिये पड़ोसी राज्यों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है।
- **संगठित अपराध:** आपराधिक संगठन आमतौर पर मिल जुलकर कार्य करते हैं और अक्सर बड़े आतंकवादी समूहों से संबद्ध होते हैं। इन दोनों के बीच संसाधनों का प्रवाह दोतरफा होता है।
- **जबरन वसूली:** यह भारत में विशेषकर उत्तर-पूर्व में आतंकवाद के वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है।
- **हवाला प्रणाली:** यह आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से धन के स्थानांतरण का एक अवैध तरीका है जिसका उपयोग आपराधिक नेटवर्क द्वारा किया जाता है।

**स्रोतों पर अंकुश के लिये किये गए प्रयास:**

- **राष्ट्रीय अंवेषण अभिकरण (NIA):** यह राज्यों की विशेष अनुमति लिये बिना राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को संबोधित करने लिये भारत की प्रमुख संस्था है।
- **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA):** यह आतंकवाद-रोधी कानून किसी व्यक्ति को "आतंकवादी" के रूप में नामित करने का प्रयास करता है।
- **नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID):** यह आतंक और अपराध से संबंधित सूचनाओं की एक केंद्रीकृत डेटा लाइब्रेरी है।
- **समाधान सिद्धांत:** इसे विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद की चुनौतियों को संबोधित करने के लिये विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण को समाप्त करना है।

हाल ही में आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर तीसरी ''नो मनी फॉर टेरर' (NMFT)' मंत्रिस्तरीय संगोष्ठी नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी। इसके प्रमुख लक्ष्यों में:

- आतंकवाद एवं उग्रवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिये वैश्विक सहयोग स्थापित करना।
- इस संबंध में देश में एक सचिवालय की स्थापना करना, जो कि कोई जाँच संस्था नहीं होगी बल्कि सहकारिता एवं सहभागिता की अवधारणा पर कार्य करेगी।
- नवीन उभरते खतरों एवं आतंकवाद के प्रचार-प्रसार के तरीकों की जाँच करना।

**निष्कर्ष:**

दो शत्रु पड़ोसियों से घिरा होने के कारण भारत आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न पर आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता है। भारत ने कई उपायों के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखा है ताकि आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत किया जा सके।

**Q7. स्थानीय समुदायों की भागीदारी, आंतरिक सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने के साथ कट्टरपंथ एवं उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई को किस प्रकार बेहतर बना सकती है? (250 शब्द)**

**उत्तर :**

**हल करने का दृष्टिकोण:**

- आंतरिक सुरक्षा में स्थानीय समुदाय की भूमिका का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- उस रूप का उल्लेख कीजिये, जिसके माध्यम से स्थानीय समुदाय आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में उत्पादक के रूप में शामिल हो सकते हैं।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

**परिचय:**

स्थानीय समुदाय की भागीदारी से तात्पर्य कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद की रोकथाम एवं प्रतिक्रिया में नागरिक समाज संगठनों, धार्मिक समूहों, युवाओं, महिलाओं तथा अन्य कमज़ोर समूहों जैसे स्थानीय अभिकर्त्ताओं की भागीदारी से है। स्थानीय समुदाय प्राय: कट्टरपंथ और उग्रवाद के संकेतों एवं प्रभावों का पता लगाने तथा अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं, जिनके पास अद्वितीय अंतर्दृष्टि, संसाधन व नेटवर्क होते हैं जिन्हें इन संकटों का सामना करने के लिये एकत्रित किया जा सकता है।

**मुख्य भाग:**

- **स्थानीय समुदाय की भागीदारी निम्नलिखित के द्वारा आंतरिक सुरक्षा उपायों को बढ़ा सकती है:**
  - कट्टरपंथ और उग्रवाद के चालकों, गतिशीलता एवं अभिकर्त्ताओं के संदर्भ में सूचना तथा खुफिया जानकारी प्रदान करना व संभावित जोखिमों एवं संकटों के बारे में प्राधिकरण को सचेत करना।
  - समुदाय-आधारित रोकथाम और हस्तक्षेप कार्यक्रमों को विकसित करना एवं कार्यान्वित करना, जो मूल कारणों तथा शिकायतों को संबोधित करते हैं, जिसमें कट्टरपंथ व उग्रवाद को बढ़ावा देना शामिल है, जैसे कि सामाजिक बहिष्कार, हाशिये पर जाना, भेदभाव, गरीबी और अवसरों की कमी आदि।
  - स्थानीय समुदायों और सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच विश्वास व सहयोग का निर्माण करना, जिसमें तनाव, गलतफहमी तथा रूढ़िवादिता को कम करने के लिये संवाद व संचार की सुविधा प्रदान करना शामिल है।
  - पूर्व चरमपंथियों और वापस लौटे लोगों के पुनर्वास एवं पुन:एकीकरण का समर्थन करना, उन्हें पुनरावर्तन को रोकने के लिये मनोसामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- **स्थानीय समुदाय की भागीदारी निम्नलिखित द्वारा कट्टरपंथ और उग्रवाद के खिलाफ लचीलापन उत्पन्न कर सकती है:**
  - स्थानीय समुदायों की सामाजिक पूंजी तथा एकजुटता को मज़बूत करना और सदस्यों के बीच अपनेपन, पहचान एवं आपसी समर्थन की भावना को बढ़ावा देना।
  - लोकतंत्र, मानवाधिकार, विविधता और सहिष्णुता के मूल्यों को बढ़ावा देना एवं शिक्षा, जागरूकता व समर्थन के माध्यम से कट्टरपंथ तथा उग्रवाद की कहानियों व विचारधाराओं को चुनौती देना।
  - कट्टरपंथ और उग्रवाद के आघातों व तनावों से निपटने एवं उबरने तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन एवं परिवर्तन करने के लिये स्थानीय समुदायों की क्षमता और सशक्तिकरण को बढ़ाना।

**निष्कर्ष:**

स्थानीय समुदाय की भागीदारी आंतरिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और कट्टरपंथ एवं उग्रवाद के विरुद्ध लचीलापन बनाने के लिये एक व्यापक तथा समग्र दृष्टिकोण का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को शामिल करके और सशक्त बनाकर, प्राधिकरण इन संकटों को रोकने तथा उनका सामना करने के साथ-साथ अधिक शांतिपूर्ण व समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिये उनके ज्ञान, कौशल एवं नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं।

**Q8. भारत के कुछ क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद के बने रहने के पीछे के प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिये। इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये आवश्यक रणनीतिक उपाय बताइये। ( 150 शब्द )**

**उत्तर :**

**हल करने का दृष्टिकोण:**

- भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) की स्थिति को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- इसके बने रहने के पीछे के कारकों का उल्लेख कीजिये।
- वामपंथी उग्रवाद के समाधान हेतु वर्तमान रणनीतियों को परिभाषित कीजिये।
- वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये रणनीतिक उपाय सुझाइये।
- समाधान सिद्धांत के साथ समापन कीजिये।

**परिचय:**

**वामपंथी उग्रवाद**, जिसे आमतौर पर **नक्सली आंदोलन** के रूप में जाना जाता है, भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। जबकि 2010 से 2022 तक वामपंथी चरमपंथी हिंसा की रिपोर्ट करने वाले **ज़िलों में 53% की गिरावट आई** है, लेकिन मध्य और पूर्वी भारत के वंचित एवं आदिवासी क्षेत्र में आर्थिक रूप से यह अभी भी कायम है।

**मुख्य भाग:**

**वामपंथी उग्रवाद के बने रहने के पीछे के कारक:**

- **सामाजिक-आर्थिक असमानता:** स्थानिक गरीबी और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, माओवादियों के लिये बुनियाद का निर्माण करती है।

- इसके अलावा, जैसा कि डी बंदोपाध्याय समिति के अनुसार, विकास नीतियों में सामाजिक अन्याय और भेदभाव को प्रायः नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
- ये असमानताएँ उन आंदोलनों को जन्म देती हैं, जो दलित और आदिवासी शिकायतों को वामपंथी विचारधारा के साथ जोड़ देते हैं।

- **संसाधनों का बेदखली और अधूरे वादे:** खनन परियोजनाओं और बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण भूमि का हस्तांतरण प्रायः वामपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
  - इसका ताज़ा उदाहरण ओडिशा की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नियमगिरि पहाड़ियों में खनन परियोजना है।
- **शासन में कमी और कमज़ोर शिकायत निवारण तंत्र:** दूरदराज़ के इलाकों में राज्य की कमज़ोर उपस्थिति माओवादियों को एक समानांतर प्रशासन स्थापित करने और सरकारी संस्थानों में विश्वास की कमी का फायदा उठाने की अनुमति देती है।
  - उदाहरण के लिये छत्तीसगढ़ में CRPF गश्ती दल पर माओवादी हमले की हालिया घटना में क्षेत्र की सुदूरता और सीमित सुरक्षा उपस्थिति को योगदान कारकों के रूप में उद्धृत किया गया था।
- **सीमा पार से घुसपैठ और समर्थन जाल:** भारत में सक्रिय वामपंथी उग्रवादी समूहों को कभी-कभी पड़ोसी देशों के साथ खुली सीमाओं के पार समर्थन और सुरक्षित पनाहगाह मिलते हैं।
  - कथित तौर पर भारत में ऐसी गतिविधियों में शामिल एक शीर्ष माओवादी नेता की नेपाल में गिरफ्तारी इस मुद्दे को उजागर करती है।

### वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने वाली वर्तमान रणनीतियाँ:

- **समावेशी विकास और सशक्तीकरण:** वन अधिकार, पेसा और मनरेगा जैसी योजनाएँ हाशिये पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाती हैं, मूल कारणों को संबोधित करती हैं तथा वामपंथी उग्रवाद के प्रति संवेदनशीलता को कम करती हैं।
- **बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी:** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा लोगों की बाज़ारों एवं सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने एवं दूरदराज़ के क्षेत्रों में अलगाव को कम करने के साथ उग्रवाद को कम करने में भूमिका निभाई जा रही है।
- **शिक्षा और कौशल:** एकलव्य मॉडल स्कूल और कौशल भारत मिशन जैसे कार्यक्रम चरमपंथी विचारधाराओं के लिये समर्थन को कम करते हुए विकल्प प्रदान करते हैं।
- **जनजातीय और ग्रामीण विकास मॉडल:** झारखंड वैकल्पिक विकास पहल, केरल कुदुंबश्री कार्यक्रम, तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिये आंध्रप्रदेश सोसायटी जैसी पहल विकास के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद का सामना करने के लिये प्रभावी रणनीतियों का प्रदर्शन करती हैं।

### वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये रणनीतिक उपाय:

- **तकनीक-संचालित इंटेलिजेंस:** नक्सली गतिविधियों पर नज़र रखने और ट्रैक करने, खुफिया जानकारी एकत्रित करने एवं लक्षित अभियानों की योजना बनाने के लिये उन्नत तकनीकों तथा डेटा एनालिटिक्स को नियोजित करना।
  - इसके अतिरिक्त, प्रति-कथा अभियानों (Counter-Narrative Campaign) के लिये सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने से नक्सली प्रचार एवं वैचारिक विचारधारा का सामना करने में सहायता मिल सकती है।
- **फास्ट-ट्रैक विकास निगम:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिये समर्पित विकास निगम या प्राधिकरण स्थापित करना, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना है।
  - इन निगमों के पास विकास पहलों का त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये विशेष शक्तियाँ एवं संसाधन हो सकते हैं।
- **कौशल विकास और उद्यमिता केंद्र:** नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास और उद्यमिता केंद्र स्थापित करना, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय स्थापना में सहायता तथा बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करना शामिल है।
  - यह युवाओं को सशक्त बना सकता है, वैकल्पिक आजीविका के अवसर उत्पन्न कर सकता है और नक्सली विचारधारा को कम कर सकता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करना, विकास, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिये निजी क्षेत्र के संसाधनों एवं विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
- इससे इन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी पहल को भी बढ़ावा मिल सकता है।

- **मनोवैज्ञानिक संचालन:** नक्सली विचारधारा को कमज़ोर करने, भर्ती प्रयासों को बाधित करने और आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने के लिये लक्षित संदेश, प्रचार एवं प्रभावित करने वाली रणनीति का उपयोग करके मनोवैज्ञानिक संचालन (PsyOps) को आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में एकीकृत करना।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** नेपाल, भूटान और म्याँमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना, जहाँ नक्सली सुरक्षित पनाहगाह या पारगमन मार्ग तलाश सकते हैं। समन्वित खुफिया जानकारी साझा करना, जो संयुक्त अभियान और सीमा प्रबंधन उनकी गतिविधियों को बाधित करने में मदद कर सकते हैं।

### निष्कर्ष:

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये **राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना** के साथ संरेखित **समाधान सिद्धांत** वामपंथी उग्रवाद के लगातार खतरे का प्रभावी ढंग से सामना करने एवं कमज़ोर क्षेत्रों में स्थायी शांति तथा विकास को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है।

**Q9. रैनसमवेयर हमले एवं साइबर जासूसी जैसे मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरे हैं। भारत के समक्ष उत्पन्न साइबर खतरों की उभरती प्रकृति पर चर्चा करते हुए साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने हेतु संभावित समाधान बताइये। (250 शब्द)**

**उत्तर :**

### हल करने का दृष्टिकोण:

- रैनसमवेयर और साइबर जासूसी को परिभाषित करते हुए परिचय लिखिये।
- भारत के समक्ष आने वाले साइबर खतरों की उभरती प्रकृति बताइये।
- साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिये संभावित समाधान सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

### परिचय:

रैनसमवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो पीड़ितों के डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और एक्सेस बहाल करने के लिये भुगतान की मांग करता है। साइबर जासूसी में प्राय: राज्य प्रायोजित अभिकर्त्ताओं द्वारा आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य लाभ के लिये संवेदनशील जानकारी की अनधिकृत पहुँच और चोरी शामिल होती है।

- वे वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर संकट हैं, भारत कई अन्य देशों की तरह इन उभरते साइबर खतरों से जूझ रहा है।

### मुख्य भाग:

#### भारत के समक्ष साइबर खतरों की बदलती प्रकृति:

- **बढ़ते रैनसमवेयर हमले:** भारत में रैनसमवेयर हमलों में वृद्धि देखी गई है।
  - **उदाहरण:** दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पर वर्ष 2022 का रैनसमवेयर हमला।
- **साइबर जासूसी और डेटा उल्लंघन:** राज्य प्रायोजित समूहों सहित परिष्कृत साइबर अभिकर्त्ता भारत के महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और संवेदनशील डेटा को लक्षित कर रहे हैं।
  - **उदाहरण:** कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में डेटा उल्लंघन।
- **डीपफेक और एआई-संचालित हमले:** भारत डीपफेक, एआई-संचालित सोशल इंजीनियरिंग और स्वायत्त साइबर हथियारों जैसे उभरते साइबर खतरों से जोखिम का सामना कर रहा है।
  - **उदाहरण:** चुनावों के दौरान गलत सूचना फैलाने वाले भारतीय राजनीतिक नेताओं के डीपफेक वीडियो।
- **इंटरनेट ऑफ थिंग्स और परिचालन प्रौद्योगिकी जोखिम:** IoT उपकरणों का प्रसार और औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों में IT एवं OT प्रणालियों का अभिसरण नए हमले के आधार का निर्माण करता है।
  - स्मार्ट शहरों या औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों में उपयोग किये जाने वाले IoT उपकरणों की कमज़ोरियों का उपयोग विघटनकारी हमलों के लिये किया जा सकता है।
- **डोक्सिंग और हैक्टिविज्म:** भारतीय संस्थाओं को वैचारिक या राजनीतिक प्रेरणाओं के लिये डोक्सिंग (संवेदनशील जानकारी लीक करना) में लगे हैक्टिविस्ट समूहों और व्यक्तियों से जोखिम का सामना करना पड़ता है।
  - हैक्टिविस्ट (Hacktivist ) समूहों ने हाल ही में भारतीय वायु सेना पर मैलवेयर फंसाने की कोशिश की।

#### साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संभावित समाधान:

- **साइबर रक्षा क्षमताओं में निवेश:** उन्नत खतरे का पता लगाने और उसे कम करने वाली तकनीकों में निवेश करके भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना।
  - विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से एक कुशल साइबर सुरक्षा कार्यबल विकसित करना।
- **सुरक्षित सॉफ्टवेयर विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना:** सॉफ्टवेयर और सिस्टम में कमज़ोरियों को दूर करने के लिये सुरक्षित सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र (SDLC) प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करना।

- सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं तथा भेद्यता प्रकटीकरण कार्यक्रमों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

- **साइबर सुरक्षा सैंडबॉक्स और डिसेप्शन ग्रिड:** उन्नत साइबर खतरों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिये सैंडबॉक्स तथा डिसेप्शन ग्रिड को पृथक वातावरण में लुभाकर एवं नियंत्रित करके लागू करना।
    - भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) भारतीय बुनियादी ढाँचे को लक्षित करने वाले खतरे वाले अभिकर्त्ताओं की रणनीति को आकर्षित करने और उनका अध्ययन करने के लिये एक हनीपोट नेटवर्क का निर्माण कर सकता है।
- **बग बाउंटी कार्यक्रम:** भारतीय सरकार अपने ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के लिये बग बाउंटी कार्यक्रम शुरू कर सकती है, ताकि एथिकल हैकर्स और सुरक्षा शोधकर्त्ताओं को महत्त्वपूर्ण सिस्टम एवं अनुप्रयोगों में कमज़ोरियों की पहचान करने तथा रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- **साइबर सुरक्षा अभ्यास और सिमुलेशन:** घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करने, अंतराल की पहचान करने और तैयारियों में सुधार करने के लिये विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए नियमित साइबर सुरक्षा अभ्यास तथा सिमुलेशन आयोजित करना।

### निष्कर्ष:

साइबर सुरक्षा एक सतत् संघर्ष है। तकनीकी समाधान, उपयोगकर्त्ता जागरुकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मिलाकर एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से अपनाकर, भारत उभरते साइबर खतरों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है तथा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर सकता है।

**Q10. वनाग्नि की घटना एक क्रमिक पर्यावरणीय समस्या बन गई है जिसके गंभीर प्रभाव होते हैं। वनाग्नि के कारणों और प्रभावों को बताते हुए इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उपायों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)**

**उत्तर :**

**हल करने का दृष्टिकोण:**

- अपने उत्तर की शुरुआत वनाग्नि और उसके पीछे निहित कारणों को परिभाषित करते हुए कीजिये
- मुख्य भाग में, वनाग्नि के प्रभावों और उन्हें न्यूनतम करने के उपायों का उल्लेख कीजिये
- निष्कर्ष में आगे की राह बताते हुए उत्तर को सारांशित कीजिये

### परिचय:

- वनाग्नि गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली एक पुनरावर्ती पर्यावरणीय समस्या है। हाल ही में गोवा के वनों में वनाग्नि की घटना सामने आई है। ISFR 2021 का अनुमान है कि देश के 36% से अधिक वन क्षेत्र पुनरावर्ती वनाग्नि का खतरा रखते हैं जबकि देश में 6% वन 'अत्यधिक' वनाग्नि-प्रवण है और लगभग 4% वन 'अत्यंत' वनाग्नि प्रवण है। वनाग्नि की घटनाएँ व्यापक स्तर पर संपत्ति, बुनियादी ढाँचे एवं पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचा सकने की क्षमता रखती हैं। यह वातावरण में हानिकारक प्रदूषकों को भी उन्मुक्त कर सकतीं हैं जो कि मानवीय स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

### वनाग्नि के पीछे निहित कारण:

- **प्राकृतिक:** तड़ित/आकाशीय बिजली वनाग्नि का सबसे प्रमुख कारण है जो वृक्षों में अग्नि का कारण बनती है। शुष्क वनस्पतियों के स्वत:स्फूर्त दहन और ज्वालामुखीय गतिविधियाँ भी वनाग्नि के प्रमुख प्राकृतिक कारण है।
- **मानवजनित:** खुले में किसी प्रकार कि लौ जलाने, सिगरेट अथवा बीड़ी या इलेक्ट्रिक चिंगारी या प्रज्वलन के किसी स्रोत के ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में आने से एवं इसके प्रसार से भी वनाग्नि की घटना हो सकती है।

### मुख्य भाग:

**वनाग्नि के प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं, जिनके कारण:-**

- **संपत्ति का नुकसान:** वनाग्नि घरों, व्यवसायों और अन्य संरचनाओं को नष्ट कर सकती है।
- **अवसंरचनात्मक क्षति:** वनाग्नि सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढाँचे को क्षति पहुँचा सकती है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति:** वनाग्नि वन्यजीवों के आवास को क्षति पहुँचाती है, जिससे वे शहरों की ओर पलायन करते हैं जिसके परिणामस्वरूप मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त कई वन्यजीव जो वनाग्नि से बचने में असमर्थ होते हैं, इसका ग्रास बन जाते हैं ।
- **वायु प्रदूषण:** वनाग्नि हानिकारक प्रदूषकों जैसे धुआँ और राख को वातावरण में उन्मुक्त कर सकती है। यह प्रदूषक, श्वास की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और कई स्थितियों में जानलेवा भी हो सकते हैं।
- **मानव स्वास्थ्य जोखिम:** धुएँ और जहरीली गैसों के उत्सर्जन से मनुष्यों में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

### वनाग्नि की घटनाओं को न्यूनतम करने के उपाय:

- **खुले में किसी प्रकार के ज्वलन से बचाव :** वनाग्नि के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि उन्हें घटित होने से पूर्व ही रोक लिया जाए । यह शुष्क दिनों में खुले में ज्वलन से बचाव, सिगरेट/बीड़ी का उचित निपटान और विद्युत लाइनों की निगरानी तथा उचित देखभाल के माध्यम से किया जा सकता है।
  - यदि खुले में ज्वाला के माध्यम से अपशिष्ट निपटान आवश्यक हो तो यह योग्य पेशेवर कंपनियों द्वारा ही किया जाना चाहिये जो सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती हों।
- **अग्निरोधकों का निर्माण:** अग्निरोधक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ से वनस्पति को हटा दिया जाता है, जिससे एक प्रकार की खाई निर्मित हो जाती है जो वनाग्नि के प्रसार को धीमा कर सकती है या रोक भी सकती है।
- **वनों की उचित निगरानी और प्रबंधन:** वनों की उचित निगरानी और प्रबंधन वनाग्नि को शुरू होने या फैलने से रोकने में मदद कर सकता है।
- **शुरुआती पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया:** प्रभावी शमन के लिये वनाग्नि का जल्द पता लगाना महत्त्वपूर्ण है।
  - इस हेतु भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का विश्लेषण करने और रोकथाम को बढ़ावा देने के लिये उपग्रह इमेजिंग तकनीक (जैसे MODIS) का उपयोग कर रहा है।
- **ईंधन का उचित प्रबंधन:** उचित प्रबंधन तकनीकों और उपकरणों के माध्यम से मृत वृक्षों, शुष्क वनस्पतियों और अन्य ज्वलनशील सामग्रियों के संचय को कम करना।
- **वनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित अग्नि प्रथाओं को अपनाना:** वनों के निकटवर्ती ऐसे क्षेत्रों जिनमें कारखाने, कोयले की खान, तेल भंडार, रासायनिक संयंत्र और घरेलू रसोई में आदि में आवश्यक रूप से सुरक्षित प्रथाओं को अपनाया जाना चाहिये। ।
- **नियंत्रित दहन का अभ्यास करना:** इसके अंतर्गत नियंत्रित वातावरण में छोटे स्तर पर दहन के क्रियाकलाप शामिल हैं।
- **शिविरार्थियों के मध्य जागरूकता एवं प्रशिक्षण:** आगंतुकों और शिविरार्थियों को भी वनाग्नि पर शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे अवांछित स्थितियों के जोखिम को कम कर सकें।

### निष्कर्ष:

वनाग्नि प्राकृतिक या मानवीय कारकों के कारण गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली एक पुनरावर्ती पर्यावरणीय समस्या है। इसके प्रभावों में जैव विविधता की क्षति, वायु प्रदूषण, मृदा का क्षरण तथा जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। रोकथाम के उपाय और प्रभावी अग्निशमन साथ ही वनों की कटाई और स्थायी वन प्रबंधन प्रथाएँ इसके प्रभावों के न्यूनीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके दीर्घकालिक प्रभावों को न्यून करने के लिये जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना भी महत्त्वपूर्ण है।

**Q11. भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं हेतु उत्तरदायी प्राथमिक कारण क्या हैं? विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर प्रकाश डालते हुए उन प्रभावी उपायों को बताइये जिन्हें इन दुर्घटनाओं हेतु उत्तरदायी कारणों को हल करने के साथ भारत के रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने हेतु लागू किया जा सकता है। (250 शब्द)**

**उत्तर :**

**हल करने का दृष्टिकोण:**

- **परिचय:** भारत में रेल/ट्रेन दुर्घटनाओं की हाल की घटनाओं का संक्षेप में विवरण देते हुए अपना प्रारंभ कीजिये।
- **मुख्य भाग:** इस संदर्भ में विभिन्न समितियों की सिफारिशों को बताते हुए इन दुर्घटनाओं के प्राथमिक कारणों के साथ इनके समाधान हेतु सुझाव दीजिये।
- **निष्कर्ष:** प्रमुख बिंदुओं को शामिल करने के साथ आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

### परिचय:

रेल दुर्घटनाएँ भारत के रेलवे नेटवर्क (जो विश्व के सबसे बड़े और व्यस्ततम नेटवर्क में से एक है) के लिये प्रमुख चिंता का विषय हैं। रेल मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 से 2019 के बीच भारत में 1,000 से अधिक रेल दुर्घटनाएँ हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1,800 लोगों की मृत्यु हुई है। ओडिशा में हाल ही में हुई एक दुर्घटना में तीन ट्रेनों की टक्कर से 275 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है।

### मुख्य भाग:

**भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं हेतु उत्तरदायी कुछ प्राथमिक कारण निम्नलिखित हैं जैसे:**

- **मानवीय त्रुटियाँ:** रेलवे चालक दल द्वारा लापरवाही करने के साथ सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं की अवहेलना करना आदि भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं के प्राथमिक कारण हैं। उदाहरण के लिये वर्ष 2016 में लोको-पायलट (ट्रेन ऑपरेटर) की लापरवाही (सिग्नल को नजरअंदाज करना) के कारण कानपुर के पास एक ट्रेन पटरी से उतर जाने की वजह से लगभग 150 लोगों की मौत हुई थी।

- **मानव रहित क्रॉसिंग:** मानव रहित लेवल क्रॉसिंग (UMLCs) का आशय ऐसे स्थानों से है जहाँ रेलवे ट्रैक बिना किसी बाधा या सिग्नल के आवागमन वाली सड़कों से गुजरते हैं। UMLCs रेल दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। वर्ष 2018-19 में हुई सभी ट्रेन दुर्घटनाओं में UMLCs की हिस्सेदारी 16% थी।
- **सिगनल फेलियर:** सिगनल फेल होने से ट्रेनें गलत ट्रैक पर चलने के साथ अन्य ट्रेनों या स्थिर वस्तुओं से टकरा सकती हैं। उदाहरण के लिये वर्ष 2021 में सिग्नल फेल होने के कारण मथुरा के पास ट्रेन की टक्कर हो गई, जिसमें लगभग 25 लोगों की मौत हो गई थी।
- **अवसंरचनात्मक कमियाँ:** रेल दुर्घटनाएँ पटरियों, पुलों, ओवरहेड तारों तथा कोचों में कमियों के कारण भी हो सकती हैं जिससे रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और विश्वसनीयता से समझौता होता है। रखरखाव पर ध्यान न देने, अवसंरचनात्मक ढाँचा के पुराने होने एवं प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप अवसंरचनात्मक कमियों को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिये वर्ष 2017 में मुज़फ्फरनगर के पास पटरी में दरार के कारण एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई थी।

**इन कारणों को दूर करने तथा भारत के रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिये विभिन्न समितियों द्वारा की गई कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं:**

- **काकोदकर समिति (2012):**
  - वैधानिक रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण का गठन करना
  - सुरक्षा कार्यों के लिये पाँच वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये के एक गैर-व्यपगत राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (RRSK) का गठन करना।
  - मानवरहित क्रॉसिंग को समाप्त करना
  - ट्रैक रखरखाव और निरीक्षण के लिये उन्नत तकनीकों को अपनाना
  - रोलिंग स्टॉक के डिज़ाइन और गुणवत्ता में सुधार करना
  - मानव संसाधन विकास और प्रबंधन में सुधार करना
  - दुर्घटना के संबंध में स्वतंत्र जाँच प्रणाली सुनिश्चित करना
- **बिबेक देबरॉय समिति (2014):**
  - जोनल और डिवीजनल स्तरों पर अधिक शक्तियाँ प्रदान करना
  - रेल सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश के साथ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना
  - यात्रियों और वस्तुओं के किराए को तर्कसंगत बनाना
  - सभी रेलवे PSUs के लिये एक होल्डिंग कंपनी बनाना
  - रेल बजट को आम बजट से अलग करना
  - नॉन-कोर गतिविधियों की आउटसोर्सिंग करना
  - रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन करना
- **विनोद राय समिति (2015):**
  - सुरक्षा मामलों की देखरेख और विनियमन हेतु वैधानिक शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करना।
  - दुर्घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच करने के लिये रेलवे दुर्घटना जाँच बोर्ड की स्थापना करना।
  - रेलवे की संपत्ति जैसे ट्रैक, पुल, सिग्नलिंग सिस्टम आदि के स्वामित्व और रखरखाव हेतु एक अलग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाना।
  - प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर रेलवे कर्मचारियों के लिये प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करना।
  - वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता में सुधार हेतु शून्य-आधारित बजट प्रणाली को लागू करना।
  - निर्णय निर्माण और सेवा वितरण में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का लाभ उठाना।

**निष्कर्ष:**

भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं की समस्या को हल करने के लिये लोगों को जागरूक बनाने, बुनियादी ढाँचे का उन्नयन करने, उन्नत सुरक्षा तकनीकों को लागू करने एवं मजबूत सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के साथ बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ऐसा करके भारत में रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने एवं ट्रेन दुर्घटनाओं को कम करने के साथ यात्रियों तथा रेल कर्मियों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है।

**Q12. हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की बढ़ती आवृत्ति हेतु उत्तरदायी कारकों एवं उनके प्रभावों पर चर्चा कीजिये। इस बढ़ती समस्या को दूर करने हेतु स्थायी शमन रणनीतियों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)**

**उत्तर :**

**हल करने का दृष्टिकोण:**

- हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन को परिभाषित करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के कारणों और उनके प्रभावों पर चर्चा कीजिये।
- इस संदर्भ में कुछ स्थायी शमन रणनीतियों का सुझाव दीजिये।
- आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

**परिचय:**

भूस्खलन का आशय गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के फलस्वरूप मृदा, चट्टान या मलबे के ढेर का नीचे की ओर खिसकना है। यह प्रक्रिया हिमालय क्षेत्र में सामान्य है, क्योंकि यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से युवा, टेक्टोनिक रूप से सक्रिय और जलवायवीय रूप से विविध है। हिमालय में भूस्खलन की बढ़ती आवृत्ति में योगदान देने वाले कारकों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राकृतिक और मानवजनित।

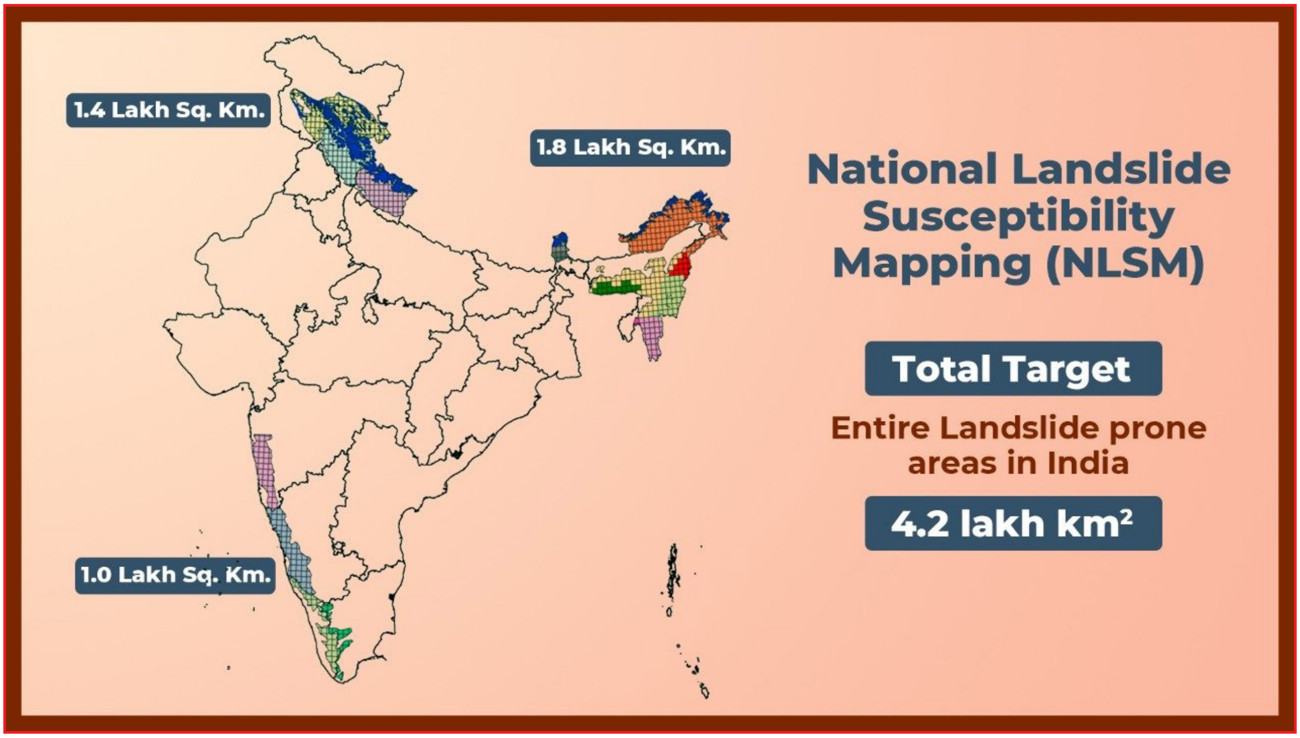


**मुख्य भाग:**

**हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के कुछ कारण:**

- **संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र:** चट्टानों के विरूपण और चट्टानों के पुन: निर्माण जैसी कई प्रक्रियाओं से जुड़ी टेक्टोनिक या नव-टेक्टोनिक गतिविधियों के साथ अपरदन, अपक्षय एवं वर्षा जैसी सतही प्रक्रियाएँ पारिस्थितिकी तंत्र को स्वाभाविक रूप से संवेदनशील बनाती हैं।
  - **भूकंप:** हिमालय क्षेत्र में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के अभिसरण से भूमिगत तनाव पैदा होता है जो भूकंप के रूप में सामने आता है, जिससे फ्रैक्चर होने से पहाड़ की सतह कमज़ोर हो जाती है। इससे ढलान के साथ चट्टानों के खिसकने की संभावना बढ़ जाती है।
    - मलबे के प्रवाह और भूमिगत जल से इसको और भी बढ़ावा मिल सकता है।
- **जलवायु प्रेरित घटनाएँ:** जलवायु-प्रेरित घटनाएँ जैसे ठंड और भारी वर्षा के कारण हिमस्खलन, भूस्खलन, मलबा प्रवाह होने से अचानक बाढ़ आती है। इससे पर्वतीय संरचना की अनिश्चितता को बढ़ावा मिलता है। मानवजनित गतिविधियों से हिमालय क्षेत्र पर और अधिक दबाव पड़ता है।
  - जलवायु परिवर्तन का ग्लेशियरों, नदी प्रणालियों, भू-आकृति विज्ञान एवं जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप पर्वतीय राज्यों में लोगों की असुरक्षा बढ़ जाती है।
    - भूमि क्षरण से समस्या को और भी बढ़ावा मिलता है।
- **भू-वैज्ञानिक संरचना:** हिमालय की कुछ चट्टानें चूना पत्थर से बनी हैं, जो अन्य प्रकार की चट्टानों की तुलना में जल और भूस्खलन के प्रति अधिक प्रवण होती हैं क्योंकि यह अम्लीय वर्षा के जल या भूजल के साथ घुल सकती हैं। इससे गुफाएँ, सिंकहोल और अन्य कार्स्ट विशेषताएँ देखी जाती है जिससे ढलानों की स्थिरता कमज़ोर होती है।

- **पश्चिमी विक्षोभ और मानसून:** पश्चिमी विक्षोभ एक कम दबाव प्रणाली है, जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, इसके कारण भारत में दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक और केंद्रित वर्षा होने के साथ उत्तराखंड में भूस्खलन तथा अचानक बाढ़ की समस्या बढ़ती है।
- **मानवजनित कारक:** सड़क निर्माण, सुरंग निर्माण, खनन, उत्खनन, वनों की कटाई, शहरीकरण, कृषि, अत्यधिक पर्यटन और जलविद्युत परियोजनाओं जैसी मानवीय गतिविधियाँ भी हिमालय में भूस्खलन का कारण बन सकती हैं। ये गतिविधियाँ वनस्पति आवरण को कम करने, जल निकासी पैटर्न में बदलाव लाने, मृदा के कटाव को तीव्र करने, चट्टानों को नष्ट करने तथा कंपन पैदा करने के साथ ढलानों के प्राकृतिक संतुलन को अस्थिर करने ले लिये उत्तरदायी हैं।
  - ये गतिविधियाँ मानव बस्तियों और बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचाने के साथ भूस्खलन के जोखिम को भी बढ़ा सकती हैं।
  - वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी भी इस क्षेत्र में होने वाले अनियोजित विकास और विनिर्माण गतिविधियों का परिणाम थी, जिससे प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली में परिवर्तन होने के साथ मृदा का कटाव बढ़ गया था।

**शमन रणनीति के रूप में किये जा सकने वाले कुछ उपाय:**

- **विनिर्माण को अनुकूलित बनाना:** इन चुनौतियों से निपटने के लिये प्राकृतिक प्रक्रियाओं, पर्यावरणीय क्षरण और मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले भू-खतरों के खिलाफ अनुकूलन विकसित करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें वास्तविक समय की निगरानी और डेटा संग्रह के लिये सेंसर नेटवर्क लागू करना भी शामिल है।
- **प्रभावी निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:**
  - **वेब-आधारित सेंसर जैसे रेन गेज, पीज़ोमीटर, इनक्लिनोमीटर, एक्सटेन्सोमीटर, InSAR (इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार)** संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही घनी आबादी क्षेत्रों में इस प्रकार की निगरानी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - **एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS):** AI और मशीन लर्निंग (ML) एल्गोरिदम का उपयोग करके एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) का विकास महत्त्वपूर्ण है। ऐसी प्रणाली समुदायों को आसन्न खतरों के बारे में भविष्यवाणी करने और सचेत करने में सहायता कर सकती है, जिससे उन्हें निवारक उपाय करने के लिये बहुमूल्य समय मिल सकता है।
- **हिमालयी राज्य परिषद का गठन:** एक ऐसे सहयोगी मंच की स्थापना करना, जो हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों को एक साथ लाता है, एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। यह केंद्रीकृत परिषद इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं का प्रभावी ढंग से आकलन और प्रबंधन करने के लिये ज्ञान, अनुभव एवं संसाधनों को साझा करने में सक्षम बनायेगा।
- **सतत् सामाजिक आर्थिक विकास:** इस क्षेत्र में मौजूद मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों जैसे ग्लेशियर, झरने, खनिज, ऊर्जा स्रोत और औषधीय पौधों के महत्त्व को पहचानना, स्थायी सामाजिक आर्थिक विकास का आधार है। हालाँकि दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये संसाधन दोहन और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।
- **पर्यावरण संबंधी विचार:** पहाड़ी इलाकों की अनूठी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उचित नगर नियोजन महत्त्वपूर्ण है। अत्यधिक विनिर्माण को प्रतिबंधित करना, प्रभावी जल निकासी प्रणालियों को लागू करना और रिटेनिंग दीवारों का उपयोग करना पर्यावरण के प्रति अनुकूल विकास के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।
  - रिटेनिंग दीवारें अपेक्षाकृत कठोर दीवारें होती हैं जिनका उपयोग मृदा को पार्श्व रूप से सहारा देने के लिये किया जाता है ताकि इसे दोनों तरफ विभिन्न स्तरों पर बनाए रखा जा सके।
- **सतत् पर्यटन:** सतत् पर्यटन पर्यावरण जागरूकता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के लिये सम्मान को बढ़ावा देकर भूस्खलन को कम कर सकता है।
  - यह स्थानीय समुदायों के लिये आर्थिक प्रोत्साहन और सामाजिक लाभ भी प्रदान कर सकता है, जिससे प्राकृतिक खतरों से निपटने के क्रम में इनकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है।
- **सरकारी परियोजनाओं का सतत् निर्माण:** हिमालयी कक्षेत्रों में तार्किक विकास सुनिश्चित करने के लिये, पर्यावरण मूल्यांकन करना, पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, स्थानीय समुदायों को शामिल करना, हितधारकों की जागरूकता बढ़ाना तथा सरकारी क्षेत्रों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना शामिल है।

**निष्कर्ष:**

हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की बढ़ती आवृत्ति विभिन्न कारणों और प्रभावों के साथ एक जटिल मुद्दा है। इस संदर्भ में सतत् शमन रणनीतियों में एक समग्र दृष्टिकोण शामिल होना चाहिये जो पर्यावरण तथा इस संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भलाई हेतु भू-वैज्ञानिक समझ, जलवायु अनुकूलन, भूमि-उपयोग योजना और सामुदायिक भागीदारी के समन्वय पर आधारित हो।